

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठारसीन अधिकारी:- विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 86/2022

दायर दिनांक 28.02.2022

वादीगण

प्रतिवादीगण

- | | |
|---|---|
| 1. मोहनसिंह पुत्र प्रभुसिंह | 1. इचरज कंवर पुत्री जयपालसिंह |
| 2. सोहनसिंह पुत्र प्रभुसिंह | 2. मंजू कंवर पुत्री जयपालसिंह |
| 3. सायरसिंह पुत्र केशरसिंह | 3. हिम्मतसिंह पुत्र जयपालसिंह समस्त जाति |
| 4. गिरवरसिंह पुत्र केशरसिंह बनाम्
समस्त जाति राजपुत
निवासीगण देवराठी तहसील
डीडवाना जिला नागौर। | राजपुत निवासीगण देवराठी तहसील
डीडवाना जिला नागौर राज.।
4. तहसीलदार डीडवाना। |

दावा बाबत्

बंटवाड़ा, घोषणा खातेदायी, व स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा- 53,188 R.T.Act.

उपरिस्थित:-

1. श्री अजीतसिंह राठोड वकील वादीगण।
2. श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह वकील प्रतिवादी संख्या 3

--: निर्णय :-

दिनांक 06.05.2026

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह है कि वाके सरहद देवराठी के खसरा संख्या 174 रकबा 0.1000 है., खसरा संख्या 198 रकबा 1.42 है., खसरा संख्या 289 रकबा 0.0100 है. गै.मु.कुण्ड, खसरा संख्या 290 रकबा 2.3100 है. खसरा संख्या 293 रकबा 0.0600 है. व खसरा संख्या 299 रकबा 0.0100 है. खसरा नम्बर 300 रकबा 3.6000 है. खसरा संख्या 326 रकबा 0.3300 है. गै.मु.उधोग, खसरा संख्या 329 रकबा 0.0700 है. खसरा संख्या 431 रकबा 0.0400 है. खसरा संख्या 432 रकबा 5.5200 है. व खसरा संख्या 453 रकबा 0.2500 है. कुल रकबा 13.7200 है. की भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन प्रस्तावित करने बाबत् दिनांक 08.04.2025 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार डीडवाना को निर्देश दिया गया।

तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांक: शीडर/2025/501 दिनांक 16.09.2025 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार डीडवाना द्वारा प्रस्तावित बंटवारा पर बहस पक्षकारान् सुनी गयी जिसमें पक्षकारान बंटवारा प्रस्तावानुसार विभाजन करवाने हेतु सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार डीडवाना के द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: शीडर/2025/501 दिनांक 16.09.2025 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि :-

--: आदेश :-

Wkas

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

वाके सरहद देवराठी के खसरा संख्या 174 रकबा 0.1000 है., खसरा संख्या 198 रकबा 1.42 है., खसरा संख्या 289 रकबा 0.0100 है. गै.मु.कुण्ड, खसरा संख्या 290 रकबा 2.3100 है. खसरा संख्या 293 रकबा 0.0600 है. व खसरा संख्या 299 रकबा 0.0100 है. खसरा नम्बर 300 रकबा 3.6000 है. खसरा संख्या 326 रकबा 0.3300 है. गै.मु.उधोग, खसरा संख्या 329 रकबा 0.0700 है. खसरा संख्या 431 रकबा 0.0400 है. खसरा संख्या 432 रकबा 5.5200 है. व खसरा संख्या 453 रकबा 0.2500 है. कुल रकबा 13.7200 है. की भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: रीडर/2025/501 दिनांक 16.09.2025 में वर्णितानुसार भूमि का पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते हैं।

तहसीलदार डीडवाना का विभाजन प्रस्ताव जरिय पत्रांक: रीडर/2025/501 दिनांक 16.09.2025 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

Wheas
(विकास सोडर का अधिकारी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 06.05.2026 को सरे इजलास में सुनाया गया।

Wheas
(विकास सोडर का अधिकारी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

डिक्री बमुकददमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 414/2025

दायर दिनाँक 10.12.2025

राजस्व वाद संख्या: 86/2022

दायर दिनाँक 28.02.2022

वादीगण

1. मोहनसिंह पुत्र प्रभुसिंह
2. सोहनसिंह पुत्र प्रभुसिंह
3. सायरसिंह पुत्र केशरसिंह
4. गिरवरसिंह पुत्र केशरसिंह बनाम
समस्त जाति राजपुत
निवासीगण देवराठी तहसील
डीडवाना जिला नागौर।

प्रतिवादीगण

1. इचरज कंवर पुत्री जयपालसिंह
2. मंजू कंवर पुत्री जयपालसिंह
3. हिम्मतसिंह पुत्र जयपालसिंह समस्त जाति
राजपुत निवासीगण देवराठी तहसील
डीडवाना जिला नागौर राज।
4. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत

बंटवाड़ा, घोषणा खातेदारी, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा- 53,188 R.T.Act.

दिनाँक 06.05.2026

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे व हाजरी मिनजानिब मुददई श्री अजीत सिंह राठौड वकील वादीगण एवं श्री वी.पी.सिंह वकील प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर वाके सरहद देवराठी के खसरा संख्या 174 रकबा 0.1000 है, खसरा संख्या 198 रकबा 1.42 है, खसरा संख्या 289 रकबा 0.0100 है. गै.मु.कुण्ड, खसरा संख्या 290 रकबा 2.3100 है. खसरा संख्या 293 रकबा 0.0600 है. व खसरा संख्या 299 रकबा 0.0100 है. खसरा नम्बर 300 रकबा 3.6000 है. खसरा संख्या 326 रकबा 0.3300 है. गै.मु.उधोग, खसरा संख्या 329 रकबा 0.0700 है. खसरा संख्या 431 रकबा 0.0400 है. खसरा संख्या 432 रकबा 5.5200 है. व खसरा संख्या 453 रकबा 0.2500 है. कुल रकबा 13.7200 है. की भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: रीडर/2025/501 दिनाँक 16.09.2025 में वर्णितानुसार भूमि का पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते हैं।

तहसीलदार डीडवाना का विभाजन प्रस्ताव जरिय पत्रांक: रीडर/2025/501 दिनाँक 16.09.2025 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-.....

.....खर्चा इस मुकददमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को

Wkes
उपरखण्ड अधिकारी
डीडवाना

अदा करें। बसबत मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 06.05.2026 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मिजान	-	-	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मिजान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना